



वंदे मातरम् का गायन राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक मुद्दा बनता जा रहा है

भाजपा इस बात को बड़े ध्यान से देख रही है कि कानून पास होने के बाद किसी भी स्तर पर वंदे मातरम् की अवहेलना तो नहीं हो रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता क्या अमित शाह हताश हैं या उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ रुक जाना चाहिए? या फिर वे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके अपना खोया हुआ राजनीतिक प्रभाव वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं?

कहानी 1897 से शुरू होती है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम् बिना किसी झिझक या समस्या के गाया गया था।

यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। 1930 के दशक में, जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन की और तेज कर दिया था, तब कुछ नेताओं ने वंदे मातरम् के तीसरे अंतरे पर आपत्ति जतानी शुरू की। इस अंतरे में मूर्ति पूजा का वर्णन था, जिसे इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं है।

इस विवाद को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उन्होंने पूरे विवाद का

- कांग्रेस ने भी मान लिया है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है, कि कानून बनने के बाद वंदे मातरम् को पूरा गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिर भी थोड़ी बेचनी सी है।
- सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम् चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की सहानुभूति पाना चाहती है, वहीं भाजपा इस मुद्दे पर हिंदू वोटों का धुवीकरण करना चाहती है और वंदे मातरम् के संदर्भ में विपक्षी दलों की मामूली सी चूक को भी हवा दे रही है।
- इसी संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर वंदे मातरम् के गायन में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और माफ़ी मांगने को कहा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस से जाँच करने और रिपोर्ट देने को भी कहा है।

विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस

तीसरे अंतरे को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि जब भारत स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है, तब सभी विवादस्पद मुद्दों को अलग रख देना चाहिए। टैगोर ने बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय से भी बात की। बंकिम चन्द्र ने कहा कि उन्हें किसी भी अंतरे को हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद मामला सुलझ लिया

गया और विवाद समाप्त हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया कि मुसलमानों को लगातार उकसाते रहना जरूरी है, ताकि हिंदू-मुस्लिम विभाजन पहले से कहीं अधिक गहरा हो सके। मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया। 15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचैतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचैतक प्रतिपक्ष रफीक खान सहित, विभिन्न दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। देवनानी ने कहा कि विधानसभा जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है। सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित, सभी विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों के बीच संवाद, समन्वय और विश्वास का वातावरण तैयार होता है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में जनमहत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण और जनहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधामोहन लाल अग्रवाल तथा राष्ट्रीय सचिव सांसद अलका गुर्जर को स्थान नहीं मिला।

संगठन में लंबे अनुभव के साथ सक्रिय रहे हैं। जून 2026 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से उनका राजनीतिक दायरा प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। पुनिया को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आने वाले समय में चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और पार्टी के महत्वपूर्ण अभियानों में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखना उनके राजनीतिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे पुनिया

लेकर पार्टी के भरोसे का संकेत माना जा रहा है। राजे इससे पहले जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में भी उपाध्यक्ष थीं। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को भाजपा एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान सहित, आदिवासी बहुल राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में रावत की भूमिका अहम हो सकती है। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को पीपूष गोयल के साथ राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इन नियुक्तियों के जरिए राजस्थान के संगठनात्मक अनुभव वाले नेताओं को केन्द्रीय संगठन में जगह दी गई है। नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल को स्थान नहीं मिला है। राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सकीं। इसके बजाय राजेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या देवेन्द्र फड़नवीस दिल्ली शिफ्ट होंगे?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर राजनैतिक हलकों में यह सवाल पूछा जा रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के सोमवार को नई दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी मुलाकात ने एक बार फिर उन्हें केन्द्र सरकार में लिए जाने की संभावना को लेकर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। फड़नवीस ने प्रधानमंत्री को राज्य की प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इनमें राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो विस्तार और नदी जोड़ो परियोजनाएँ शामिल हैं। उन्होंने केन्द्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं के लिए केन्द्र से और अधिक सहयोग की भी मांग की। हालाँकि, बाद में उन्होंने दिल्ली

- फड़नवीस का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल का प्रशासनिक अनुभव है, वे युवा हैं और उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है, यही नहीं, अक्सर प्रधानमंत्री के पद पर मोदी के विकल्प के रूप में उनका नाम लिया जाता है, हालांकि, खुद फड़नवीस इससे इंकार कर चुके हैं।
- चर्चा है कि अगर फड़नवीस केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उन्हें संभवतया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है।
- फड़नवीस ने कहा कि उनकी प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात राज्य की योजनाओं के संदर्भ में थी, वे दिल्ली शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और महाराष्ट्र में ही बने रहेंगे।

आने की अटकलों को खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में फड़नवीस ने कहा कि जो लोग ऐसी अटकलों के “गुब्बारे” या “पतंगें” उड़ा रहे हैं, वे

ऐसा करते रहें, लेकिन वे महाराष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। फड़नवीस को लेकर मौजूदा अटकलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कतर में रहने वाले भारतीय यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। कतर में रहने वाले भारतीय अब डाकघरों के माध्यम से भारत में यूपीआई से जुड़े बैंक खातों में सीधे पैसे भेज सकेंगे। कतर-भारत धन प्रेषण (पोस्टल रেমिटेंस)

- यह सेवा डाक विभाग तथा कतर डाक सहित संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है।

सेवा 15 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सुविधा डाक विभाग और कतर डाक सहित, अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है। केन्द्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि इस सेवा के तहत कतर में ग्राहक कतर के डाकघर जाकर भारत में किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“दिमागी नक्सल” कौन होता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्र.मंत्री मोदी की “दिमागी नक्सल” टिप्पणी ने नई राजनैतिक बहस छेड़ दी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सरकार के विरोधियों के लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कई अन्य बातों के अलावा, भाजपा सरकार के रवैये में युवाओं के प्रति विरोधाभास को भी दर्शाता है। एक ओर मोदी ने मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, एआई कौशल प्रशिक्षण और नशामुक्त भारत जैसी घोषणाओं के जरिए युवाओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सरकार को महत्वाकांक्षी युवा भारतीयों के साथ खड़े साझेदार के रूप में पेश किया। दूसरी ओर, उन्होंने संकेत दिया कि इसी युवा वर्ग के एक भाग को दिमागी नक्सलियों द्वारा गुमराह करने या ब्रेनवॉश किए जाने का खतरा है और उसे मुख्यधारा में वापस लाने की जरूरत है। इसका निहित संदेश साफ है: छात्रों की वास्तविक आकांक्षाओं का स्वागत

- प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कई योजनाएँ घोषित कीं, साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के एक वर्ग का “दिमागी नक्सली” लोगों द्वारा “ब्रेन वॉश” किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है।
- विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्र.मंत्री का इशारा स्वतंत्र विचारधारा और वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठनों की ओर है और उनकी दिमागी नक्सल टिप्पणी सरकार की भावी दिशा का संकेत दे रही है।

है, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली या स्वतंत्र विचारधारा की छात्र राजनीति शक की नजर से देखी जाती है। “दिमागी नक्सल” का तंत्र इस बात का संकेत भी है कि आने वाले महीनों में छात्र राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। सभी संकेतों से लगता है कि एबीवीपी के लिए यह काफी सक्रिय दौर होने वाला है। परिसरों में अपनी पहुंच बढ़ाने, जवाबी लामबंदी करने और अपने विरोधियों को राष्-

त्रिरोधी या वैचारिक रूप से दृष्टित बताकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश तेज हो सकती है। एबीवीपी खुद को युवा विकास की वैध आवाज के रूप में पेश करती रहेगी, जबकि वामपंथी रुझान वाले या स्वतंत्र छात्र संगठनों को बदनाम करने के लिए दिमागी नक्सल जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि, अनुकूल रख रखने वाले युवाओं के लिए प्रोत्साहन और असहमति जताने वालों के लिए सख्ती

की यह दोहरी रणनीति सीजेपी के बाद की जैनेरेशन जी की उभरती मुखरता को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, यह अभी एक खुला राजनीतिक सवाल है। कॉकरोच जन्मा पार्टी के जैनेरेशन ज़ैड आंदोलन, जिसने पेपर लोक के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, उससे जुड़े छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री के भाषण को इस बात के एक और प्रमाण के रूप में लिया है कि सरकार युवाओं के गुस्से को समझने और उसके मुलौ कारणों को दूर करने के बजाय उसे किसी लेबल से जोड़ने में अधिक सहज है। सीजेपी और वामपंथी छात्र संगठनों को पहले ही अर्बन नक्सल जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा है। अब इस्तेमाल किया गया नया शब्द उस रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसे ऐसी पीढ़ी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अगर एयरलाइन किराया बढ़ाये तो केन्द्र उड़ानें रोकें’

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। उच्चतम न्यायालय ने त्योंहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर सख्त रुख अपनाने हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को सख्त निर्देश दिये।

अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यात्रियों के हित में व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर सख्त रुख अपनाने हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

इलायची और माउथ फ्रैशनर के बहाने पान मसाला ब्रांड का प्रचार, कानून से खिलवाड़ की एक और मिसाल

महाराष्ट्र सरकार ने विमल इलायची के प्रचार के लिए बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ एक्शन लेकर “सरोगेट एडवर्टिज़मेंट” के खेल को सुर्खियों में ला दिया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता। विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई ने भारत की सरोगेट विज्ञापन (छद्म विज्ञापन) के खिलाफ लंबे समय से चल रही लड़ाई को फिर से चर्चा में ला दिया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: किसी ऐसे उत्पाद का विज्ञापन, जो देखने में पूरी तरह वैध है, कब प्रतिबंधित तंबाकू या पान मसाला उत्पाद का अप्रत्यक्ष विज्ञापन बन जाता है?

- “सरोगेट” यानि छद्म विज्ञापन वे विज्ञापन हैं, जिनमें किसी प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी अन्य प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है, जैसे विमल गुटखा के प्रचार के लिए विमल इलायची का विज्ञापन किया जाता है।
- भारत में तंबाकू आधारित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून रोक है और इस कानून में बाद में ऐसे नियम भी जोड़ दिए गए, जिनमें तंबाकू उत्पाद ब्रांड के प्रचार के लिए अन्य उत्पाद का प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- उपभोक्ता संरक्षण कानून की गाइडलाइन्स में भी “सरोगेट” विज्ञापन पर रोक लगाई गई है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्मी हस्तियों पर की गई कार्यवाही सैलिब्रिटी विवाद बन कर न रह जाए, यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि, यह मुद्दा इस विवाद का समाधान कर सकता है कि क्या किसी वैध उत्पाद की आड़ में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है।

वाली कंपनियाँ इलायची, माउथ फ्रेशनर और अन्य उत्पादों जैसे ब्रांड एक्सटेंशन के जरिए, अपने ब्रांड को लोगों की नजर में बनाए रखती हैं,

जबकि उक्त उत्पादों के सीधे विज्ञापन पर प्रतिबंध है। भारत में इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए पहले से ही एक

मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सी.ओ.पी.टी.ए.), 2003 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

इस कानून के तहत बाद में बनाए गए नियम अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर भी रोक लगाते हैं। इनमें तम्बाकू उत्पाद के नाम या ब्रांड का इस्तेमाल अन्य सामान

सेवाओं या कार्यक्रमों के प्रचार के लिए करना भी शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण कानून की व्यवस्था भी इसमें एक और स्तर जोड़ती है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की 2022 की गाइडलाइंस उन वस्तुओं और सेवाओं के सरोगेट या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती हैं, जिनके विज्ञापन पर पहले से प्रतिबंध था रोक है। फिर भी इन नियमों को लागू करना मुश्किल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का बचाव (डिफेंस) सीधा है: विज्ञापन पूरी तरह से वैध उत्पाद के लिए है। इस बचाव की अदालतों में परीक्षा हो चुकी है। विमल इलायची से जुड़े एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- उन्होंने भाजपा व शीर्ष नेतृत्व को मार्ग दर्शन व सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया।

कर लिया जाए। इससे पहले भी उन्होंने 30 जुलाई को इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। सोमवार को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भेजा है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)